तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रतिनिधित्व सरकार के सचिव लोक निर्माण विभाग

बनाम

सिद्धारमैया, मुख्यमंत्री, कर्नाटक सरकार एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 2456 सन 2007 में अवमानना याचिका(सिविल) संख्या 225 सन 2013, 16 फरवरी 2018

[दीपक मिश्रा सीजेआई, अमिताव रॉय एवं एएम खानविलकर, जे.जे]

अंर्तराज्यी जल विवाद: तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के बीच जल विवाद – कावेरी नदी के पानी के संबंध में – 2007 के सिविल अपील नंबर 2456 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निपटाया गया – कर्नाटक के मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ तमिलनाडु राज्य द्वारा अवमानना याचिका में अभिनिर्धारित– 2007 के सिविल अपील संख्या 2456 में पारित निर्णय के मद्देनजर अवमानना याचिका बंद कर दी गई। सिविल मूल क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2456/2007 से अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 225/2013 कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा अर्न्तराज्यी जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 5(2) के अर्न्तगत पारित आदेश एवं निर्णय दिनांकित 05.02.2007 से

रंजीत कुमार, एसजी, मधुसूदन आर. नाइक, एडवोकेट जनरल, फली एस. नरीमन, एस. एस. जावली, जयदीप गुप्ता, शेखर नफाडे, ए. एस. नांबियार, राकेश द्विवेदी, सुब्रमण्यम प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता, मोहन वी. कटारकी, एस. सी. शर्मा, बृजेश कलप्पा, आर. एस. रवि, वी. एन. रघुपति, जे. एम. गंगाधर, रणवीर सिंह, अब्दुल अजीम कालेबुड्डे, जी. प्रकाश, जी श्रीमती बीना प्रकाश, विजय शंकर, कुणाल चतरजी, सौरभ गुप्ता, जी. उमापति, सी. परमसिम, के. वी. विजयकुमार, बी. बालाजी, एस. वसीम ए. कादरी, श्रीमती माधवी दीवान, अजय शर्मा, सुश्री स्निधा मेहरा, हेमंत आर्य, सुश्री सौदामिनी शर्मा, सुश्री कीर्ति दुआ, सुश्री सोम्या राठौर, सुमित, डीएस माहरा, एमके मारोरिया, आर. नेदुमारन, वी. जी. प्रगासम, एस. प्रबु रामसुब्रमण्यन पेश पक्षों की ओर से रमेश बाबू एम.आर., राजेश महाले, बी. बालाजी, ए. एस. भस्मे, सुश्री अपर्णा भट, सुश्री सुप्रीता शरणगौडा, अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय दीपक मिश्रा सी०जे०आई० द्वारा सुनाया गया।

हमने संख्या 2456 का निपटारा कर दिया है, हम प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना याचिका के साथ आगे बढ़ने का इरादा नहीं रखते हैं। यह तदनुसार बंद है। हमने सिविल अपील संख्या 2456/2007 का निपटारा कर दिया है। हम उत्तरदातागणो के विरूद्ध अवमानना याचिका को आगे

बढ़ाने की इच्छा नही रखते। तदानुसार इसको समाप्त किया जाता है। कल्पना के त्रिपाठी अवमानना याचिका समाप्त।

(तबरेज अहमद)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कक्ष सं०–10 बरेली

J.O CODE NO. UP 6298